न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 61 / 2024	2024 / 94	30—10—2024	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) । —प्रार्थी

बनाम

01. श्री राकेश कुमार लखेरा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद, निवासी स्कीम नं0 3 फेमिली लाईन अलवर। —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः— —विभागीय प्रतिनिधि

1. विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 24.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार में विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी वहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री राकेश कुमार लखेरा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद, निवासी स्कीग नं० 3. फेमिली लाईन अलवर की श्री जोधपुर स्वीटस होम, सीपीएम के पास, जेल का चौराहा, अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री राकेश कुमार लखेरा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद, निवासी स्कीम नं0 3. फेमिली लाईन, अलवर उपस्थित मिले। श्री राकेश कुमार लखेरा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं पार्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री राकेश कुमार लखेरा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री राकेश कुमार लखेरा के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० गिर्राजधरण गैस एजेंसी के प्रतिनिधि श्री चौतन्य मिश्रा पुत्र श्री सुधीर मिश्रा को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की दुकान से जो दो सिलैण्डर मिले हैं उनका किसी भी प्रकार से कोई व्यवसायिक प्रयोग नहीं किया जा रहा था वरन् उक्त दोनों सिलेण्डर प्रार्थी के घरेलु कनेक्शन के सिलैण्डर है जिनमें एक सिलैण्डर प्रार्थी के नाम का व दूसरा सिलैण्डर प्रार्थी की माताजी के नाम का है। जबकि दोनों ही सिलैण्डर का व्यवसायिक गतिविधि में प्रयोग नहीं किया जा रहा था और ना ही मौके पर उक्त सिलैण्डर का कोई उपयोग किया जा रहा था। जो उक्त दोनों ही सिलैण्डर डिलेवरी मैन द्वारा प्रार्थी की दुकान पर देकर गया था जिनको प्रार्थी को अपने घर ले जाना था किन्तु रसद अधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अलवर द्वारा बिना प्रार्थी को सुने सिलैण्डरों के कारण अनावश्यक कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्ध की गई है। जो कार्यवाही निरस्त होने योग्य है। अतः जवाब कारण नोटिस श्रीमान् की सेवा में पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलु गैस सिलैण्डरों को व्यवसायिक कार्य में उपयोग नहीं किया जा रहा था। जिससे प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाये व जप्तशुदा सिलेण्डर मिन प्रार्थी को वापिस दिलवाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में कथन किया गया है कि प्रार्थी की दुकान से जो दो सिलैण्डर मिले हैं उनका किसी भी प्रकार से कोई व्यवसायिक प्रयोग नहीं किया जा रहा था। उक्त दोनों सिलेण्डर प्रार्थी के घरेलू कनेक्शन के सिलैण्डर है जिनमें एक सिलैण्डर प्रार्थी के नाम का व दूसरा सिलैण्डर प्रार्थी की माताजी के नाम का है। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री राकेश कुमार लखेरा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री राकेश कुमार लखेरा द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री राकेश कुमार लखेरा के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)